भारत सरकार
मत्स्यपालन, पशुपालन और डेयरी मंत्रालय
पशुपालन और डेयरी विभाग
लोकसभा
अतारांकित प्रश्न संख्या- 270
दिनांक 22 जुलाई, 2025 के लिए प्रश्न

आवारा कुत्ते और मवेशी

270. डॉ. कडियम काव्यः

क्या **मत्स्यपालन, पशुपालन और डेयरी मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार वारंगल के गांवों में, विशेषकर तेलंगाना के रामपुर के निकट, आवारा कुत्तों के हमलों के बढ़ते मामलों से अवगत है;

(ख) सरकार द्वारा वर्ष 2024-25 में वारंगल में आवारा पशुओं के लिए चलाए गए नसबंदी और टीकाकरण अभियानों का ब्यौरा क्या है;

(ग) उक्त जिले के पशु कल्याण बोर्ड के अंतर्गत वारंगल में पशु आश्रय स्थलों का निर्माण करने के लिए कितनी निधि आवंटित की गई है; और

(घ) क्या सरकार वारंगल के शहरी क्षेत्रों में आवारा पशुओं की व्यवस्था करने के लिए समुदाय-नेतृत्व वाली पहलों का समर्थन करेगी और यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर
मत्स्यपालन, पशुपालन और डेयरी राज्य मंत्री
(प्रो.एस.पी. सिंह बघेल)

(क) आवारा कुत्तों की आबादी नियंत्रित करने का अधिदेश स्थानीय निकायों का है। तेलंगाना सरकार और ग्रेटर वारंगल नगर निगम से प्राप्त रिपोर्टों के अनुसार रामपुर में आवारा कुत्तों के हमलों का कोई मामला दर्ज नहीं हुआ है।

(ख) तेलंगाना सरकार द्वारा प्रदान की गई सूचना के अनुसार ग्रेटर वारंगल नगर निगम, पशु जन्म नियंत्रण केंद्र, चिंथागट्टु, वारंगल में पशु जन्म नियंत्रण (ABC) और रेबीज़-रोधी टीकाकरण (ARV) कार्यक्रम कार्यान्वित कर रही है। वर्ष 2024-25 के दौरान कुल 6,154 आवारा कुत्तों की नसबंदी (sterilized) और टीकाकरण किया गया है।

(ग) भारतीय जीव-जंतु कल्याण बोर्ड (AWBI) "पशुओं की देखभाल के लिए आश्रयगृह हेतु योजना" के तहत मान्यता प्राप्त पशु कल्याण संगठनों को उनसे आवेदन प्राप्त होने पर वित्तीय सहायता प्रदान करता है। हालांकि वारंगल में स्थित किसी भी पशु कल्याण संगठन से कोई आवेदन प्राप्त नहीं हुआ है। जिसके परिणामस्वरूप, उस क्षेत्र में पशु आश्रय स्थापित करने के लिए कोई अनुदान जारी नहीं किया गया है।

(घ) संविधान के अनुच्छेद 243ब (243W) के अनुसार आवारा पशु का प्रबंधन शहरी स्थानीय निकायों के अधिदेश में आता है। तथापि, भारतीय जीव-जंतु कल्याण बोर्ड आश्रय स्थापित करने के लिए मान्यता प्राप्त पशु कल्याण संगठनों को वित्तीय सहायता प्रदान करता है। तेलंगाना राज्य सरकार द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार ग्रेटर वारंगल नगर निगम शहरी आवारा गोपशु को व्यक्तियों,

सोसाइटियों, ट्रस्टों द्वारा संचालित गौशालाओं में स्थानांतरित करके प्रबंधित कर रहा है। इन गौशालाओं में निम्नलिखित शामिल हैं:

(क) महर्षि गोशाला, चिंतागट्टू (ग्राम), हसनपार्थी (मण्डल);

(ख) अयप्पा सेवासमिति, मुलुगु रोड;

(ग) भद्रकाली गोशाला, हनमकोंडा; और

(घ) बृंदावन गोशाला, मुप्परम (ग्राम), धरमसागर (मण्डल), हनमकोंडा (जिला)।

******